

0/0



कार्यालय

जिला सूचना-विज्ञान पदाधिकारी
राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र, शेखपुरा जिला, बिहार

पत्रांक - NICSHK/2017/19

दिनांक - 27/03/2017

कार्यालय आदेश

किसी भी विभागीय पत्र जो जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को लिखा जाये या प्रतिलिपि दिया जाये या किसी कार्यालय आदेश में प्रतिलिपि दिया जाये, उसमें ये देखा जाये कि जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक महोदय को छोर के जिला के बाकि सभी पदाधिकारी प्रतिलिपि में " सादर सूचनार्थ प्रेषित" लिखेंगे और यदि कोई कार्य हो तो उसी में "अनुरोध है की उक्त कार्य कराने की कृपा की जाये" लिखेंगे ।

जातव्य हो कि जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी एक सामान्य केन्द्रीय सेवा के समूह 'क' (General Central Service, Group-A) के पदाधिकारी है और समाहरणालय में वरियता क्रम में अभी तीसरे स्थान (IAS, IPS, GCS) पे आते है और उप विकाश आयुक्त - शेखपुरा व अपर समाहर्ता - शेखपुरा आदि राज्य सेवा के सभी समूह 'ख' स्तर के पदाधिकारी से स्वतः ही वरिये हो जाते है, अतः जिस प्रकार से वे जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक महोदय से पत्र व्यवहार करते है उसी तरह जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी से भी करेंगे अन्यथा उनका पत्र/आदेश/प्रतिलिपि अबैध माना जायेगा और संलग्न कार्य न होने कि पूरी जिम्मेदारी मेरे इस आदेश को नहीं मानने वाले पदाधिकारी की होगी ।

Alok
27/3/2017
District Informatics Officer,
NIC, D. M. Office,
Sheikhpura

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक, शेखपुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : उप विकाश आयुक्त - शेखपुरा व अपर समाहर्ता - शेखपुरा आदि राज्य सेवा के सभी समूह 'ख' स्तर के पदाधिकारियों को सूचनार्थ और अनुपालनार्थ प्रेषित ।

Alok
27/3/2017



(आलोक राज, GCS)

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी,
शेखपुरा